दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/9/23 को पेश हो।	
12/9/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17/10/23 को पेश हो।	
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुनः बहस हेतु दिनांक 24/11/23 को पेश हो। [signature]	
24/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 9/1/24 को पेश हो।	
09/01/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता श्री सनातन पारीक उपस्थित। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/01/2024 को पेश हो।	
11/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/01/24 को पेश हो।	
16/01/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादपत्र पर अंतिम बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधि० की बहस पर मनन करने के उपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत [signature]	

आज्ञा विस्तृत रूप से

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गोपाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी, जि. जयपुर।		1. रामफूल पुत्र कालू 2. सीताराम पुत्र कालू समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर। 4. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

निर्णय दिनांक 16.01.2024

मुकदमा न0 62 / 2021

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 170 रकबा 0.0253 हैक्टेयर स्थित ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 170 रकबा 0.0253 हैक्टेयर स्थित ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के राजस्व नक्शें में दर्शित सीमाओ में वादी की भूमि के उत्तरी व पूर्वी सीमा के आसपास न तो नींव खोदे न ही पुख्ता बाउण्ड्रीवाल व अन्य निर्माण कार्य करावे न ही वादी की उक्त खातेदारी की भूमि में जबरन अतिचार कर बेदखत करने की चेष्टा करे तथा वादी के उपयोग उपभोग व कब्जे मे किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करे न अपने किसी कामगार, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट मुख्त्यार आम व खास आदि से करावे तथा वादग्रस्त भूमि पर न तो स्वयं करे न अपने अन्य को ही प्रवेश करावें, न ही वादग्रस्त भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने व कराने की चेष्टा करे तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने की चेष्टा न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं वादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।................निजी..................मुबलिक..................बाबत.................खर्चा....................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... ....को अदा करें। .

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर
ओहदा..............................

दस्तख्त.....................
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण